



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23062026-273747  
CG-DL-E-23062026-273747

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3210]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 23, 2026/आषाढ 2, 1948

No. 3210]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 23, 2026/ASHADHA 2, 1948

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जून, 2026

का.आ. 3343(अ).— केन्द्रीय सरकार, जनविश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2026 (2026 का 8) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको, उक्त अधिनियम के उपबंध जहां तक उनका संबंध उक्त अधिनियम की अनुसूची की क्रम सं. 12 और उससे संबंधित प्रविष्टियों से है, जो कोयला खान भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948 (1948 का 46) से संबंधित है, प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. सीएफपीएफ-20011/2/2025- सीएफपीएफ]

रुपिन्दर बरार, अपर सचिव

**MINISTRY OF COAL**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd June, 2026

**S.O. 3343(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2026 (8 of 2026), the Central Government hereby appoints the date of publication of this notification as the date on which the provisions of the said Act, in so far as it relates to serial number 12 and the entries thereto in the Schedule to the said Act relating to the Coal Mines Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1948 (46 of 1948), shall come into force.

[F. No. CMPF-20011/2/2025-CMPF]

RUPINDER BRAR, Addl. Secy.